IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

Volume 10, Issue 5, September-October 2023

Impact Factor: 6.421

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi crossref

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 6.421| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 5, September - October 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1005028

भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त एवं आधार स्तंभ

Anil Kumar Yadav

Assistant Professor in Political Science, Babu Shobha Ram Govt. Arts College, Alwar (Rajasthan), India

भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हुए 29 सितम्बर, 1946 को पं. नेहरू ने एक प्रेस कांफ्रेस में कहा था कि "भारत का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति पूर्णतया सहयोग का है तथा जो चार्टर उसे समाहित करता है, उसका अक्षरशः बिना किसी पूर्वग्रह के पालन करने का है। इस लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए भारत विश्व की विभिन्न गतिविधियों में पूर्ण भाग लेगा तथा इसकी रक्षा में उस भूमिका को निभाने का प्रयत्न करेगा जो इसकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या तथा शान्तिमय प्रगति के लिए इसके योग्य है। भारत सभी उपनिवेशक तथा पराधीन लोगों की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्णय के अधिकार का पूर्ण समर्थन करता है।" "विदेश मामलों के क्षेत्र में, भारत की स्वतंत्र नीति यह होगी एक दूसरे के विरूद्ध इकट्ठे हुए गुटों की शक्ति राजनीति से दूर रहना। पराधीन व्यक्तियों की स्वतंत्रता के सिद्धान्त को मानना तथा जहाँ कहीं भी नस्ली भेदभाव होगा उसका विरोध करना।

यह दूसरे शान्तिप्रिय देशों के साथ मिलकर, एक राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के शोषण के बिना अन्तराष्ट्रीय सहयोग तथा सद्भावना के लिए कार्य करेगा। यह आवश्यक है कि अपनी पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की प्राप्ति के साथ सम्बन्धों को और अधिक निकटता प्रदान करे।" भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-

I. गुट निरपेक्षता

गुट निरपेक्षता या असंलग्नता भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण और विलक्षण सिद्धान्त है। जिस समय अमरीका और भूतपूर्व सोवियत संघ, ये दोनों महाशक्तियों शीत युद्ध की नीति पर चल रही थीं तथा दोनों पूँजीवादी और साम्यवादी गुट अपनी-अपनी स्थितियों को दृढ़ बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के साथ गठजोड़ कर रहे थे, तब भारतीय नीति-निर्माताओं, विशेषतया पं. नेहरू ने विश्व शान्ति तथा भारतीय सुरक्षा तथा आवश्यकताओं के हित में यही उचित समझा कि भारत को इस शक्ति राजनीति से पृथक् ही रखा जाये। पहले इस नीति को तटस्थता के नाम से जाना गया, परन्तु पाँचवें दशक में इसे गुट निरपेक्षता के नाम से जाना गया। इसका अर्थ है: दोनों महाशक्यिों में से किसी के साथ भी देश को किसी सन्धि द्वारा न जोड़ना तथा न ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से कटकर राहने का सिद्धान्तः 04 दिसम्बर, 1947 को पं. नेहरू ने कहा था, "हम लोगों ने दोनों में से किसी भी गुट में सम्मिलित न होकर विदेशी गुटबन्दियों से अलग रहने का प्रयास किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि दोनों में से कोई भी गुट हम लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता।"

सकारात्मक रूप से गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है एक स्वतंत्र विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सक्रिय योगदान, प्रत्येक मामले को उसके गुण-दोषों के आधार पर जाँचना तथा भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेना। नकारात्मक रूप से उसका तात्पर्य है शीत युद्ध सन्धियों तथा शक्ति राजनीति से दूर रहना। एक. एस. राजन के शब्दों में, "विशेषतपा तथा नकारात्मक रूप से गुट-निरपेक्षता का अर्थ राजनीतिक या सैनिक सन्धियों की अस्वीकृति, सकारात्मक रूप से इसका अर्थ था विषय के लाभों के आधार पर जब किसी भी या जैसी आवश्यकता हो, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर "तदर्थ निर्णय लेना।"

गुट निरपेक्षता की नीति न तो पलायनवादी है, न अलगावादी और न द्विध्रुवीय प्रतिद्वन्द्विता में सम्मिलित होने की। पं. नेहरू ने 08 मार्च, 1949 को कहा था कि, "इस प्रकार हमारी नीति ने कंवल शक्ति गुटों से दूर रहने की होगी बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को सम्भव बनाने की भी होगी।"

गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ सकारात्मक है अर्थात् जो सही और न्यायसंगत है उसकी सहायता और समर्थन करना तथा जो अनीतिपूर्ण एवं अन्यायसंगत है उसकी आलोचना एवं निदा करना। अमरीकी सीनेट में एक बार पं. नेहरू ने कहा था कि, "यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा तो वहाँ हम न तो आज तदस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे।"

II. साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध

ब्रिटिश साम्रात्पवाद के अधीन भारत दासता के दुश्परिणामों से परिचित रहा। अतः उसके किए साम्राज्यवाद का विरोध करना स्वाभाविक है। पं. नेहरू ने चुसेल्स में एक सम्मेलन में कहा था कि "साम्राज्यवाद के विरूद्ध भारत का संघर्ष मात्र एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है। इसका सीधा प्रभाव कई राष्ट्रों पर पड़ता है। विश्व के किसी भी भाग में साम्राज्यवाद का अस्तित्व भारत को अस्वीकार्य है।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| Impact Factor: 6.421| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 5, September - October 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1005028

भारत के लिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष जीवन-मृत्यु का प्रश्न है।" स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत का साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष जारी है। पं. नेहरू के शब्दों में, "साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रति न केवल कोई आपत्ति है बल्कि सक्रिय आपत्ति है, विश्व के किसी भी भाग में किसी भी रूपों में उपनिवेशवाद के विरूद्ध एक सक्रिय संघर्ष चलता है।"

साम्राज्यवाद से त्रस्त सभी देशों; जैसे इण्डोनेशिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, अंगोला, नामीबिया में उपनिवेशीय शासन से छुटकारा पाने के लिए किये जाने वाले संघर्ष में भारत ने भरपूर समर्थन दिया। पश्चिम एशिया में भारत ने डालर साम्राज्यवाद का सदैव विरोध और अरब राष्ट्रों का साथ दिया। भारत फिलीस्तीनी जनता को अपने अधिकार दिलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। भारत सैनिक गुटों नाटो, सीटो, वारसा पैक्ट का विरोधी रहा है। बांगलादेश की स्वतंत्रता में भारत ने अहम् भूमिका निभायी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरूद्ध भी आवाज उठाता रहा है। आज भी भारत नव-उपनिवेशवाद के विरूद्ध आवाज उठा रहा है।

III. नस्लवादी भेदभाव का विरोध

भारत सभी नस्लों की समानता में विश्वास रखता है तथा किसी भी नस्ल के लोगों से भेदभाव का पूर्ण रूप से विरोध करता है। अपनी स्वतंत्रता से पहले भारत ने दक्षिणी अफ्रीका की प्रजाति पार्थक्य की नीति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में बराबर यह प्रश्न उठाता रहा है। भारत प्रजाति विभेद का इतना घोर विरोधी था कि उसने दक्षिणी अफ्रीका के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिये थे। भारत तथा अन्य गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के प्रयासों से श्री नेल्सन मण्डेला अपने 27 वर्षों के लम्बे कारावास के पश्चात् ।। फरवरी, 1990 को स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। अब जबकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने नस्लवाद की समाप्ति की ओर कदम उठाये हैं तो पहल की है। भारत ने जर्मन की नाजीवादी नीति का विरोध किया था। पं. नेहरू के शब्दों में, "हम पूर्ण रूप से नाजीवाद के नस्लवाद के सिद्धान्तों का खण्डन करते हैं चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में पाया जाता हो।" इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय समुदाय में नस्लवाद की पूर्ण समाप्ति भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धान्त है।

IV. साधनों की शुद्धता

भारत की विदेश नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं है। भारत की विदेश नीति महात्मा गाँधी के इस सिद्धान्त से प्रभावित रही है कि न केवल उद्देश्य बल्कि उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। भारतीय संविधान के भागIV में दिये गये नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में अनु, 51 में कहा गया है. "राज्य (1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा अभिवृद्धि का (2) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का (3) संगठित लोगों के, एक-दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सन्धि बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का. (4) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने इत्यादि का प्रयत्न करेगा।" 29 नवम्बर, 1955 को पं. नेहरू ने रूसी नेताओं बुल्गानिन तथा खुश्चेव के साथ एक प्रीतिभोज में कहा था कि, "हम केवल इस बात में विश्वास नहीं करते कि जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना है वे शुद्ध हों. किन्तु उनके लिए प्रयोग में लाये गये साधन भी शुद्ध हों अन्यथा अपने आप में बदल जाता है।"

यदि भारत का साधनों की शुद्धता में विश्वास न होता तो 1965 को ताशकन्द समझौता और 1971 का शिमला समझौता कभी भी किये जाते, जिनके आधार पर भारत ने पाकिस्तान के न केवल शुद्ध-बन्दी लौटाये बल्कि उसकी जीती हुई भूमि भी लौटा दी।

V. पंचशील के सिद्धांत

नेहरू ने भारत की विदेश नीति को सुदृद् आधार प्रदान करने के लिए 'पंचशील' सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। ये पाँच सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-

1. एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना,
2. अनाक्रमण,
3. एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना,
4. समानता तथा पारस्परिक लाभ,
5. शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व।

संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व शान्ति के लिए समर्थन

भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। तब से लेकर आज तक भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के क्रिया-कलापों का समर्थन किया है तथा इनमें सक्रियता से भाग लिया है।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| Impact Factor: 6.421| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 5, September - October 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1005028

VI. तीसरे विश्व के साथ एकता

पं. नेहरू भारतीय स्वतंत्रता को एशिया की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति मानते थे। इसलिए उन्होंने एशिया में शान्ति तथा सुरक्षा पर पूर्ण ध्यान दिया। बाद में यही विचार अफ्रीकी-एशियाई एकता की अवधारण के रूप में विकसित हुआ। तीसरे विश्व की शान्ति तथा विकास की अवधारणा बाद में जन्मे नये स्वतंत्र तथा विकासशील राष्ट्रों की अवधारणा बन गई। 07 सितम्बर, 1946 को पं. नेहरू ने अपने भाषण में कहा, "हम एशिया में रहने वाले हैं तथा एशिया के लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक निकट तथा निकटतम हैं।" 1947 में नई दिल्ली में हुए एशिया सम्बन्ध सम्मेलन में उन्होंने इण्डोनेशिया पर डब आक्रमण के विरूद्ध प्रस्ताव पास कराया।

भारत ने साम्राज्यवाद के विरूद्ध आवाज उठायी तथा एशियाई देशों के मध्य सक्रिय सम्पकों की आवश्यकता पर बल दिया। अप्रैल 1955 में अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों का पहला सम्मेलन किया गया तथा अफ्रीकी-एशियाई एकता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। भारत ने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उत्तर तथा दक्षिण के नकुन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 1982 में दक्षिण-दक्षिण बार्ता, ळ.15 के सम्मेलनों में भारत की सक्रिय भूमिका इस बात का प्रमाण है कि भारत की विदेश नीति तीसरे विश्व के साथ भारत के भाईचारे को महत्व देती है।

VII. सभी के साथ मित्रता

भारत की नीति सभी के साथ शान्ति और मित्रता की है। भारत साम्यवादी और पूँजीबादी सभी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध रखना चाहता है। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ भी मित्रता की नीति अपनायी है। भारत ने पाकिस्तान से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखने के लिए अनेक बार चार्ताएँ की। समझौता एक्सप्रेस, लाहौर बस यात्रा, आगरा वार्ता (अटल बिहार वाजपेयी और जरनल मुर्शरफ के मध्य) इसकी साथी है। नेपाल, बंगलादेश तथा श्रीलंका जैसे छोटे राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया बल्कि आर्थिक सहायता देकर उनकी आर्थिक व्यवस्था को स्थिर बनाने का प्रयास किया है।

VIII. भारत-पाक सम्बन्ध एवं कश्मीर समस्या

भारत और पाकिस्तान विवादों में कशमीर प्रमुख मुद्दा है। पाकिस्तानी जूनागढ़ और हैदराबाद को भूल गये पर वे कश्मीर को आज तक नहीं भूले। भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर स्थित कश्मीर भारत एवं पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग मुस्लिम था जबकि यहाँ का आनुवंशिक शासक एक हिन्दू राजा था। अगस्त 1947 में कश्मीर के शासक ने अपने विलय के विषय में कोई तात्कालिक निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। 22 अक्टूबर, 1947 को उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त के कबायलियों ने एवं अनकों पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 04 दिनों के भीतर ही हमलावर आक्रमणकारी श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक आ पहुँचे।

26 अक्टूबर को कश्मीर के शासक ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की माँग की और साथ ही कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना भी की। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएँ कश्मीर भेज दी गयीं तथा युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंगमान लिया। जनमत संग्रह की बात भारत सरकार ने अपने आदर्शबाद दृष्टिकोण से प्रभावित होकर सम्भवतः स्वीकार कर ली थी परन्तु यह एक राजनीतिक भूल ही प्रमाणित हुई।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 34 एवं 35 के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् में शिकायत की कि पाकिस्तान की सहायता से कबायली भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर रहे हैं और इस आक्रमण से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग होने की पूर्ण आशंका है। उत्तर में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए भारत में कश्मीर विलय को ही अवैधानिक बताया। भारतीय सेनाओं को आज्ञा दी गयी कि वे आक्रमणकारियों को कश्मीर की सीमाओं से बाहर खदेड़ दें। भारतीय सेना ने लगभग आधा कश्मीर खाली भी करवा लिया। 01 जनवरी, 1949 को संयुक्त राष्ट्र आयोग के प्रस्ताव के आधार पर दोनों देशों में युद्ध विराम लागू हो गया। युद्ध विराम की शर्ते इस प्रकार भी:

1. भारत तथा पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष 01 जनवरी, 1949 को मध्य रात्रि से युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। इसके पश्चात् कोई भी पक्ष ऐसा कोई कदम न उठायेगा, जिससे कि सैनिक कार्यवाही की पुनरावृति हो।

2. जम्मू-कश्मीर राज्य की समस्या को हल करने के लिए दोनों देशों की सहमति से जनमत संग्रह कराया जाय। युद्ध विराम रेखा निर्धारित हो जाने पर पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर का 32,000 वर्गमील क्षेत्रफल रह गया। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को 'आजाद कश्मीर' कहा। युद्ध विराम रेखा के इस पार भारत के अधिकार में 53,000 वर्ग मील क्षेत्रफल था, जिनकी जनसंख्या 3.3 लाख थी।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 6.421| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 5, September - October 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1005028

नेहरू जनमत-संग्रह के लिए तैयार थे। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने यह शर्त लगा दी थी कि पाकिस्तान द्वारा हस्तगत क्षेत्र से जय पाकिस्तानी सेना एवं कबायली पूर्णतय हट जायेंगे, तभी जनमत संग्रह होगा। पाकिस्तन 'आजादी काश्मीर' से अपनी सेनाएँ हटाने के लिए तैयार न था और बिना सेनाएँ हटाचे जनमत संग्रह हो नहीं सकता था। पाकिस्तान ने अमरीका से 1954 में सैनिक सन्धि कर ली। वह 1955 में बगदाद पैक्ट (सेण्टो) को भी सदस्य हो गया। उसने अपने कुछ अब अमरीका को दे दिये। इससे भारत ने खतरा अनुभव किया। भारत का मत था कि पाकिस्तान कश्मीर लेने के लिए अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है।

अतः परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कश्मीर नीति में परिवर्तन कर लिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब कश्मीर में जनमत संग्रह करना सम्भव नहीं है। इसी समय सोवियत संघ का कश्मीर के प्रश्न पर भारत को समर्थन मिल गया जिससे भारत की स्थिति मजबूत हो गयी। उसका भी अन्तराष्ट्रीय जगत तथा सुरक्षा परिषद् में एक शक्तिशाली मित्र हो गया। 1950 में पंडित नेहरू ने पाकिस्तान से 'युद्ध-वर्जन सन्धि' करने का प्रस्ताव रखा था परन्तु पाकिस्तान ने उसे ठुकरा दिया।

6 फरवरी, 1954 को कश्मीर की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास कर जम्मू-कश्मीर राज्य का विलय भारत में होने की पुष्टि कर दी। भारत सरकार संविधान में संशोधन कर 14 मई, 1954 को अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत काश्मीर को विशेष दर्जा दे दिया। 26 जनवरी, 1957 को जम्मू-काश्मीर का संविधान लागू हो गया। उसके साथ ही जम्मू-काश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद भी पाकिस्तान बार-बार काश्मीर का प्रश्न उठाता रहा है। 02 जनवरी, 1957 को सुरक्षा परिषद् में इस प्रश्न को उठाया गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका ने सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा कि काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जनमत संग्रह कराया जाय और संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात सेना वहाँ भेजी जाय। भारत ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। भारत के समर्थन में रूस ने इस प्रस्ताव पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया।

भारतीय प्रतिनिधि कृष्णा मेनन ने अपने 7 घंटे 48 मिनट तक के लम्बे ऐतिहासिक भाषण में कहा कि, "मूल समस्या यह है कि जम्मू-काश्मीर से पाकिलसानी सेनाएँ अभी तक क्यों नहीं निकली। 1962 में सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान ने काश्मीर में आत्मनिर्णय की माँग दोहरायी, इस प्रस्ताव को रूस ने चीटो द्वारा समाप्त कर दिया। जब-जब मौका मिलता है पाकिस्तान काश्मीर प्रश्न को उठाता रहता है। अप्रैल 1982 में जनरल जिया ने कहा कि कश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मार्च 1983 में नयी दिल्ली में आयोजित सातवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भी जनरल जिया ने काश्मीर को एक विवादास्पद मुद्धा बताया।

वस्तुतः भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर तनाव का मुख्य कारण है। वह काश्मीर को अब भी एक समस्या मानता है। एक पाकिस्तानी पत्रकार के अनुसार, 'हमारी भावनाएँ अब भी काश्मीर के बारे वैसी ही हैं जेसी कि पहले थी, परन्तु एक बात याद रखनी चाहिए कि हमने 1972 में शिमला सम्मेलन के दौरान भी कश्मीर देना स्वीकार नहीं किया था।" भारत का मत है कि पाकिस्तान कश्मीर तथा अन्य कोई द्विपक्षीय मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से नहीं उठा सकता लेकिन पाकिस्तान इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार, एम. (1976) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष, शिवलाल एण्ड कम्पनी, आगरा
2. वैदिक, वेद प्रताप (1995) भारतीय विदेश नीति नये दिशा संकेत, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
3. वर्मा, दीनानाथ (1996) अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, ज्ञानदा प्रकाशन, पटना
4. दत्त, वी.पी. (1999) इंडियाज़ फॉरेन पोलिसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर. एस. चंद पब्लिकेशन, नई दिल्ली
5. जैन, श्रीपाल, पंत पुष्पेश, और पंचोला, राखी (2000) अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
6. गुप्ता, एम.जी. (2001) इंडिया फॉरेन पॉलिसी, वाई बी. पब्लिकेशर्स, आगरा
7. अस्थाना, बंदना (2002) इंडियाज फोरेन पॉलेसी एण्ड सब-कोंटिनेंटल पॉलिटिक्स, कनिष्का पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली
8. विन्द्रा, एस. एस. (2002) इंडिया एण्ड हर नेबर्स, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली
9. चौपड़ा, सुरेन्द्र (2003) स्टडिज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर
10. फ्रेंकल, फ्रांसिंन आर. और हार्डिंग हैरी (2004) दी इंडिया चाइना रिलेशंसशिफ, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस
11. पोखरना, भावना (2012) इंडिया चाइना रिलेशन्स डाइमेन्संस एण्ड परसपेक्टिव, न्यू सेंचुरी पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली
12. त्रिपाठी और दीपक. बी. आर. इंडिया चाइना रिलेशन्स फ्यूचर परसपेक्टिव (2012) बी.आई. जे. बुक्स इंडिया, न्यू दिल्ली
13. विद्यालंकार, सत्यकेतु (2012) विश्व की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली
14. यादव, आर. एस. (2013) भारत की विदेश नीति, प्रिजन पब्लिकेशन, नई दिल्ली
15. मिश्रा, केशव और भारद्वाज, प्रवीण (2016) बीसवीं सदी में भारत-चीन संबंध, जेनेक्सट् पब्लिकेशन, नई दिल्ली
16. पंत, पुष्पेश (2016) 21 वी शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मेग्रेव हिल्स एज्युकेशन, नई दिल्ली
17. दीक्षित जे.एन. (2017) भारतीय विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 6.421| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 5, September - October 2023 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2023.1005028

18. मिश्रा, आर. (2018) भारतीय विदेशनीति भूमंडलीयकरण के दौर में, ओरियंट ब्लैकस्वन, नई दिल्ली
19. शर्मा, बी.पी. (2018) चीन एक आर्थिक व भू-राजनैतिक चुनौती, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
20. गुप्त, एम. एल. (2019) भारत-चीन कूटनीतिक संबंध. एटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली
21. खन्ना, वी.एन., अरोड़ा, एल., एवं कुमार, एल. (2019) भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. नोएडा
22. सिंह, जेड.डी. (2020) पावर शिफ्ट इंडिया चाइना रिलेशन्स इन ए मल्टिपोलर वर्ल्ड, मेकमिलन पब्लिकेशन, नई दिल्ली

IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com